



प्रपत्र-
शपथ-पत्र

मैं, शिल्पा राज अमर राज
पति/पति

उम्र 31 वर्ष, *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत मुजफ्फरपुर के वार्ड संख्या 39

मोहल्ला पुरानी अदरी पोस्ट रमणा, थाना नगर, जिला मुजफ्फरपुर
भवानी सिंह मार्ग

बिहार का निवासी हूँ, तथा शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ:-

कि मैं अपना नाम निर्देशन पत्र *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत मुजफ्फरपुर के वार्ड संख्या 39 के *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद के निर्वाचन हेतु दाखिल कर रहा/रही हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के उपबन्धों से पूर्णतः अवगत हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के तहत *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत नगर निगम, मुजफ्फरपुर के वार्ड 39 के *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद के निर्वाचन के लिए अथवा निर्वाचन के बाद अपने पद पर बने रहने के लिए अनर्हित नहीं हूँ;

कि संलग्न अनुसूचित में मेरे द्वारा अंकित की गई सूचनाएँ मेरे विश्वास एवं जानकारी में सही और सत्य है।

Shubham Kr.

Shilpa Raj

- गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर Shubham Kr. अभ्यर्थी का हस्ताक्षर
 नाम Shubham Kr, S/o:- Bholu Pd. Pandit, Ward:-39, Thana:- Town Thana
 पता Purani Awdri Bhouani Singh Marg, Saku Road, Muzaffarpur
- गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर Abhishek Gupta
 नाम Abhishek Gupta, S/o Gautam Shilpi
 पता Purani Awdri Bhouani Singh Marg

Shilpa Raj
19/9/22

स्थान : Muzaffarpur
दिनांक : 21/9/2022 लगातार

*जो लागू हों वो हटने काट दो।
नोट : कार्यपालक, Muzaffarpur के समक्ष शपथ ली जाएगी।

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा
शपथ-पत्र के साथ दी जाने वाली सूचनाओं का प्रपत्र

मुजफ्फरपुर जिला के *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर प्रबंधक नगर निगम मुजफ्फरपुर
के वार्ड संख्या 39 से *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद-पद का निर्वाचन।

अभ्यर्थी का नाम- शिल्पा राज
पिता/पति का नाम- अमर राज

1. क्या आप देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा कभी कारावास या अर्थदण्ड से दंडित किये गये हैं- शून्य

(क) यदि हाँ, तो निम्न विवरण अंकित करें:- शून्य

(i) न्यायालय का नाम जिसके द्वारा दंडित किये गये- शून्य

(ii) दंडित किये जाने की तिथि एवं वाद संख्या- शून्य

(iii) किये गये अपराध की प्रकृति- शून्य
(अधिनियम एवं धाराओं का विवरण सहित)

(iv) दिया गया दण्ड- शून्य

(v) काराधीन रहने की अवधि, यदि कोई हो- शून्य

(vi) कारावास से मुक्त होने की तिथि- शून्य

(ख) उपरोक्त दण्डादेश के विरुद्ध कोई अपील/पुनर्विचार का आवेदन दायर किया गया है या नहीं? - शून्य

(i) अपील संख्या/पुनर्विचार आवेदन पत्र, यदि कोई हो, का विवरण- शून्य

(ii) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र दायर किया गया- शून्य

(iii) क्या दायर अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र निष्पादित हो चुका है अथवा लंबित है- शून्य

(iv) यदि निष्पादित है, तो शून्य

(क) निष्पादन की तिथि- शून्य

(ख) पारित आदेश का संक्षिप्त विवरण- शून्य

(v) क्या अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र के विचारण के दौरान कोई जमानत दिया गया- शून्य

(vi) यदि हाँ, तो जमानत पर मुक्त रहने की अवधि- शून्य

(ग) क्या आप किसी न्यायालय में किसी अपराध में दोषमुक्त (acquittal) या उन्मोचित (discharge)

किये गये हैं, यदि हाँ तो निम्न विवरण दें- शून्य

(i) न्यायालय जिसके द्वारा दोषमुक्त किये गये हैं- शून्य

(ii) आरोप की प्रकृति एवं वाद संख्या- शून्य

क्या आप नामांकन दाखिल करने की तिथि के छः माह पूर्व देश के भीतर या बाहर वैसे किसी लंबित मामले में आरोपित हैं और उसमें आरोप तैयार कर लिया गया है अथवा सक्षम विधि न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है, जिसमें छः माह से ज्यादा की सजा हो सकती है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें:- शुल्प

- (i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है। संज्ञान लिया गया है- शुल्प
- (ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- शुल्प
- (iii) अपराध संख्या शुल्प
- (iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- शुल्प
- (v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- शुल्प

3. क्या आपके विरुद्ध उक्त कोडिका (2) में वर्णित मामले से भिन्न किसी अन्य मामले में देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें- शुल्प

- (i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है/ संज्ञान लिया गया है- शुल्प
- (ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- शुल्प
- (iii) अपराध संख्या- शुल्प
- (iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- शुल्प
- (v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- शुल्प

4. यदि कोई निर्वाचन संबंधित अपराध लंबित हो, तो पूर्ण विवरण- शुल्प

5. अपनी परिसम्पत्ति अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित का विवरण निम्नवत है:-

(क) अचल सम्पत्ति:-

(i) कृषि भूमि :- शुल्प

(ii) शहरी भूमि- शुल्प

(iii) भवन- 992 वर्गफीट जमीन मध्य मंगान छत्रशर 6+2
आठ कमरा वाला - सेक्टर (सास के नाम से)
वर्तमान बाजार मूल्य - 10,00,000/- लगभग,
उपर्युक्त की स्थिति, माप तथा वर्तमान बाजार मूल्य दिया जाए।

(ख) चल सम्पत्ति तथा उनकी वर्तमान कीमत:-

(i) नकद करीब - 50,000/-

(ii) बैंक बैलेंस - केनरा बैंक, छोटी जलपाजी,
मुज. नो. - 3,000/- (प्रमाणा)
(बैंक का प्रिन्टआउट संलग्न करें।)
(अभ्यर्थी)

(iii) फिक्स डिपोजिट शून्य

(प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)

(iv) ब्रॉण्ड, शेयर - शून्य

(इसके प्रमाण की छायाप्रति संलग्न करें)

(v) वाहन - तीन पहिया (पेटाजी) (vi) आभूषणों का विवरण सोना-चौदी
लोन - अभ्यर्थी के पति के नाम (पूर्ण विवरण दें) संकुत्र (पत्नी-पत्नी)
(निबंधन की छाया प्रति जिसका परिवहन मो. - 30,000/- (प्रमाणा)
BR06GP0366. पदाधिकारी की मुहर के साथ संलग्न करें)

6. ** (क) अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित के दायित्वों/
वित्तीय संस्थाओं के बकायों का पूर्ण विवरण दिए जाएं

(प्रमाण-पत्रों के साथ)

(1) तीन पहिया गाड़ी - लोन - महिन्द्रा फिनांस - मुज. - 3,50,000/- (पति)
(BR06GP0366.)

(2) मुद्रा लोन - न. 00,000/- बैंक ऑफ इंडिया, मोतीपुर, मुज. (पति)

(3) बीजी लोन - 65,000/- महिन्द्रा फार्नेचर, लि., मुज. (पति)

(ख) अगर के.सी.सी. है तो उसके अद्यतन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति - शून्य

7. अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण स्कूल व कॉलेज - स्नातकोत्तर (एम.ए.) शिक्षण
के नाम के साथ अंकित करें- 2022, वी.आर.ए. वी.ए. मुजफ्फरपुर.

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचनाएँ मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही और सत्य हैं।

स्थान- मुजफ्फरपुर

तिथि- 21.09.2022

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

** वित्तीय संस्था/बैंक/सरकार/आयकर/वैल्य टैक्स/प्रॉपर्टी टैक्स/बिक्री कर संबंधी बकाया।

नोट :- सभी स्तम्भ निश्चित रूप से भरे जायें। जहाँ शून्य विवरण देना हो वहाँ "शून्य" अवश्य अंकित किया जाय।

स्तम्भ खाली छोड़ देने अथवा (X) चिह्न अंकित करने पर यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी द्वारा सूचना छिपाने की चेष्टा की गई है और यह नामांकन पत्र रद्द करने का आधार बन सकता है।